ई–मेल
फैक्स

पत्र संख्या–जी0 / बी0टी0–30–28 / 2026 4943 / जे0
बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक 23.6.26

विषयः– विपत्र कोड–27–2014001050001 अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–76, दिनांक–29.05.2026

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित मद में 2,00,000 / –(दो लाख) रूपये के अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। विदित हो कि उक्त मद में सक्षम प्राधिकार से चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में आवंटन की कार्रवाई की गई है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा आवंटन की मांग में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्वयं की चिकित्सा हेतु आपके स्तर से निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में 1,902 / –(एक हजार नौ सौ दो) रूपये की राशि भी शामिल है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1891(14), दिनांक–09.08.2014 के कंडिका–8(ख) के अनुसार न्यायालयों के सेवारत / सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश के 10 लाख रूपये तक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय पटना होंगे।

अतः उपर्युक्त स्थिति में अनुरोध है कि उक्त स्वास्थ्य विभागीय प्रावधान के अनुसार श्री अखिलेश कुमार झा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी के 1,902 / –(एक हजार नौ सौ दो) रूपये के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार(महानिबंधक,माननीय उच्च न्यायालय, पटना) से प्राप्त करने के उपरान्त विभाग को आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
B.S. Mehrotra 23-6-26
(बासनो शंकर मेहरोत्रा)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।
23.6.26

D:\GBT\GBT draft 3 1.docx